

ई-मेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:-एफ 17()खा.वि./स्था.मु./कोरोना वायरस/2020


जयपुर, दिनांक:- 17/09/2020

-: आदेश :-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मुख्यालय जयपुर में पदस्थापित तीन अधिकारियों/कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 04.06.2020 के अनुसरण में विभाग मुख्यालय को शुक्रवार दिनांक 18.09.2020 व शनिवार दिनांक 19.09.2020 को सील किया जाना है।

अतः खाद्य विभाग मुख्यालय जयपुर दिनांक 18.09.2020 व 19.09.2020 को कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना में बंद रहेगा। विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(जे.पी. बैरवा)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य राज्य मंत्री, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि यदि वे विभाग के उक्त संक्रमित अधिकारी/कर्मचारी से सीधे संपर्क में आये हैं, तो स्वयं का कोविड-19 संबंधित जांच/परीक्षण करवायें तथा संक्रमित पाये जाने पर इस संबंध में (होम क्वारेंटाइन/आइसोलेशन के संबंध में) राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक आयुक्त